


21/5 पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।
कड

पत्रावली में पूर्व वमें भी वकील वादी
को आनिम विधायक की जाई थी कि
आगामी पेशी पर तामिल की रसीदें
पेश करे, अन्यथा आदेश 9 नियम 5

के तहत आदेश पारित किया जायेगा
लेकिन वकील वादी ने आज दिनांक
तक तामिल की रसीदें पेश नहीं की।
अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5

के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेरल सुमार होकर नम्बर
से कम होकर वाखिल दफ्तर है।


उपकरण अधिकारी
वाताशानाक (सीकर)